विविध

123

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,

राजस्व मंड़ल म.प्र. ग्वालियर

III/विविध/रीवा/भू-रा/2017/2869

उमेश प्रताप सिंह बगैरह ..... आवेदकगण

बनाम

संतोष कुमार सिंह बगैरह ..... अनावेदकगण

आवेदन पत्र बावत् निगरानी प्रकरण कमांक 1610/तीन/2013 पारित आदेश दिनांक 11.08.17 उमेश प्रताप सिंह बगै. बनाम संतोष कुमार सिंह बगै. के प्रकरण में स्पष्ट आदेश न होने से त्रुटि सुधार किये जाने ।

मान्यवर,

आधार आवेदन पत्र निम्न है :–

1. यह कि उपरोक्त उन्मान का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन था जिसका निगरानी प्रकरण कमांक 1610/तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 11.08.17 को किया जा चुका है।
2. यह कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.17 के अंत में यह लेख नही है कि निगरानी स्वीकार या अस्वीकार की गयी, एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.01.13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त करने का भी लेख नही किया गया ह ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश में स्पष्ट आदेश प्रतीत न होने से त्रृटि सुधार किया जाना न्याय हित में उचित होगा।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व नक्शा तर्मीम को निरस्त कर नये सिरे से नक्शा संशोधन का आदेश पारित किया गया था, जबकि पूर्व नक्शा तर्मीम को निरस्त कर संशोधन करने की अधिकारितता तहसील न्यायालय को नही है। चुंकि पूर्व नक्शा तर्मीम व सीमांकन आज तक यथावत है उसके विरूद्व कोई अपील/निगरानी न होने से उसमें तहसीलदार को संशोधन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–विविध/रीवा/भू.रा./2017/2869

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/4/18	राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1610–तीन/2013 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–8–2017 में लिपिकीय टंकण त्रृटि सुधार करना दर्शाते हुये यह विविध आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में व्यक्त किया है कि राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर के आदेश दिनांक 11–8–2017 के अंतिम पद में तहसीलदार का आदेश दिनांक 10–1–13 निरस्त किया गया है अथवा नहीं एंव निगरानी स्वीकार की गई है अथवा अस्वीकार की गई है अंकन नहीं है जो लेखन त्रृटि से है जिससे आदेश में सुधार किया जावे। 3/ प्रकरण कमांक 1610–तीन/2013 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–8–2017 के पद 3 के अवलोकन पर पाया गया कि इस आदेश व्दारा सरहदी कास्तकारों को सूचना एंव सुनवाई का अवसर देकर नक्शा तरमीम कार्यवाही करने निर्देश देते हुये प्रकरण वापिस किया गया है। इसका आशय यही है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 10–1–13 त्रृटिपूर्ण है जिसके कारण निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार करके प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है । फलस्वरूप राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1610–तीन/2013 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–8–2017 में किसी प्रकार के फेर–बदल का औचित्य न होने से आवेदक व्दारा प्रस्तुत विविध आवेदन इसी–स्तर पर अमान्य किया जाता है। सदस्य	